भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3816
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

विचाराधीन कैदी

†3816. श्रीमती प्रतिमा मण्डलः
श्री एस.आर. पार्थिबनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह तथ्य है कि देश भर की जेलों में बंद व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश की जेलों के अन्दर विचाराधीन और दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी दस वर्षों से अधिक समय से जेलों में बंद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने विचाराधीन कैदियों की संख्या में कमी करने के लिए प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और
(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिसटिक्स इंडिया" में कारागार संबंधी आंकड़े संकलित करता है। प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2016 तक उपलब्ध हैं। दिनांक 31 दिसम्बर, 2014, 2015 और 2016 की स्थिति के अनुसार देश की विभिन्न जेलों में कुल क्रमशः 4,18,536, 4,19,623 और 4,33,003 कैदी बंद थे।

(ग): एनसीआरबी के पिछले प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार देश की विभिन्न जेलों में 2,93,058 विचारणाधीन कैदी और 1,35,683 दोषसिद्ध कैदी बंद थे।

(घ): एनसीआरबी 2 से 3 वर्षों, 3 से 5 वर्षों और 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों का ब्यौरा प्रकाशित करता है। एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2016 में प्रकाशित पिछले आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों की संख्या 3927 थी।

(ङ) और (च): 'कारागार' और 'उनमें निरुद्ध व्यक्ति' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार राज्य के विषय हैं। कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विचारणाधीन कैदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने और विचारणाधीन कैदियों के मामलों की तत्परतापूर्वक समीक्षा करने के लिए जेलों में लोक अदालतों/ विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 भी परिचालित किया है जिसमें 'विधिक सहायता' पर एक अध्याय है, जिसमें विचारणाधीन कैदियों को मुहैया कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात् विधिक सुरक्षा, वकीलों के साथ साक्षात्कार, वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने और सरकारी खर्चे पर विधिक सहायता हेतु न्यायालयों को आवेदन देने आदि का प्रावधान है। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण (नालसा) पूरे भारत की जेलों में चल रहीं अपनी विधिक सेवा क्लीनिकों के माध्यम से सभी विचारणाधीन कैदियों को नि:शुल्क विधिक सहायता मुहैया कराता है। नालसा ने हाल ही में ''स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) फॉर अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटीज'' के रूप में दिशानिर्देश तैयार किए हैं। यह एसओपी दिनांक 18.02.2019 को गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है। वर्ष 2016 में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436क के तहत 929 विचारणाधीन कैदी रिहा किए गए थे।

*****